छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण
प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899
यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232
प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
अजय त्रिपाठी
पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग
प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर
+91 9993518554
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण
हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन
खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग
राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग
हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग
कुलदीप नामदेव
दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग
बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन
प्रदेश उपाध्यक्ष
श्रीमती दिव्या सिंह
प्रदेश प्रवक्ता
सत्यम शुक्ला
प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी
एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

क्र. 017 दिनांक 02/11/2026

प्रति

माननीय राहुल गांधी जी
(नेता प्रतिपक्ष)
लोकसभा

मान. मल्लिकार्जुन खड़गे जी
(राष्ट्रीय अध्यक्ष)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मान. प्रियंका गांधी वाड्रा जी
(सांसद)
लोकसभा एवं महासचिव,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

माननीय विजय बघेल जी
(सांसद)
लोकसभा

माननीय डॉ. रमन सिंह जी
(अध्यक्ष)
छत्तीसगढ़ विधानसभा

माननीय अशोक गहलोत जी
(पूर्व मुख्यमंत्री)
राजस्थान

मान. अरविंद केजरीवाल जी
(राष्ट्रीय संयोजक)
आम आदमी पार्टी

मान. शिवराज सिंह चौहान जी
(केंद्रीय मंत्री)
कृषि एवं किसान कल्याण तथा
ग्रामीण विकास मंत्रालय

माननीय भूपेश बघेल जी
(पूर्व मुख्यमंत्री)
छत्तीसगढ़ एवं महासचिव,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मान. भजनलाल शर्मा जी
(मुख्यमंत्री)
राजस्थान शासन

मान. भगवंत सिंह मान जी
(मुख्यमंत्री)
पंजाब शासन

मान. डॉ. चरणदास महंत जी
(नेता प्रतिपक्ष)
छत्तीसगढ़ विधानसभा

मान. टी. एस. सिंहदेव जी
(पूर्व उपमुख्यमंत्री)
छत्तीसगढ़ शासन

विषयः— **छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के 6437 दैनिक श्रमिको की छटनी रोकने, प्लेसमेन्ट प्रथा आगमन पर रोक लगाने व 6437 श्रमिको सहित प्रदेश के 36 हजार 57 विभागों के बिना नियुक्ति पत्र वाले दैनिक मासिक श्रमिक, पूर्णकालिक काम की आवश्यकता के अनुसार आकस्मिक रूप से नियोजित व सबंधित विभागों से सीधे वेतन प्राप्त करने वालो का माता कौशल्या के नाम से पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तर्ज पर काल्पनिक वेतनमान लागू कर स्थायीकरण करने बाबत।**

महोदय,

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) में कुल 6,437 दैनिक वेतनभोगी श्रमिक नियोजित हैं। हम सभी श्रमिक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र धारक, छत्तीसगढ़ीया अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं सामान्य वर्ग से संबंधित हैं, हम सभी श्रमिकों को हैण्ड रिसिप्ट (HR) एवं मस्टर रोल

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

(MR) दो अलग–अलग प्रकार के माध्यम से वेतन भुगतान किया जा रहा है। कुछ श्रमिकों को विभाग में कार्य करते हुए मात्र 1 वर्ष हुआ है, तथा कुछ श्रमिक पिछले 28 वर्षों से लगातार विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम में 90% श्रमिक अधिकतम आगामी 15 वर्ष की सेवा ही दे पाएंगे उसके पश्चात सेवानिवृति की उम्र में (62 वर्ष में) पहुंच चुके होंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद कांग्रेस की प्रथम सरकार, भाजपा की लगभग 15 वर्षों की सरकार, उसके बाद कांग्रेस सरकार तथा वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में समय–समय पर विभागीय आवश्यकता के अनुसार हम श्रमिकों को पुर्णकालिक आकस्मिक श्रमायुक्त दर दैनिक मासिक श्रमिकों के रूप में काम पर रखा गया है।

हमसे चपरासी, चौकीदार, वाहन चालक, बढ़ई, राजमिस्त्री इलेक्ट्रिशियन, पम्प ऑपरेटर सफाईकर्मी, स्वीपर, माली खानसामा, प्लम्बर, लिपिक व कम्प्यूटर ऑपरेटर जैसे कार्य लिए जाते है। हम श्रमिकों को कोई नियमित नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए है। सभी को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वेतन का भुगतान सीधे हम दैनिक श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाता है। भुगतान किसी ठेकेदार या निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं किया जाता है।

हम दैनिक मासिक श्रमिकों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी समय–समय पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी प्रस्तुत की जाती रही है। पूर्ववर्ती 2023 के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भी संख्यात्मक श्रमिकों की जानकारी विधिवत भेजी गई थी। वित्त विभाग द्वारा बाकायदा हमारे वेतन, श्रम सम्मान राशि एवं EPF के लिए बजट उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए बजट में शीर्ष क्रमांक 018 एवं #18 निर्मित किया गया है।

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में वर्षों से कार्यरत 6,437 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को वर्तमान में धीरे–धीरे कार्य से पृथक किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हम वे श्रमिक हैं जो राज्य गठन के बाद 3, 5, 7, 10 व 28 वर्षों से विभाग में सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत 6,437 श्रमिकों में से मात्र 664 श्रमिकों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कलेक्टर दर पर नियोजित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। लगभग 375–380 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसमे स्पष्ट 6,437 में से 5,773 दैनिक मासिक श्रमिक जो वर्षों से कार्यरत है के आजीविका पर छंटनी का खतरा मंडरा रहा है।

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

हम 6,437 श्रमिकों की छंटनी तत्काल रोकी जाए। किसी भी श्रमिक को वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना कार्य से पृथक न किया जाए। न्यूनतम 2 वर्षों से कार्यरत हम समस्त 6,437 दैनिक श्रमिको के स्थायीकरण पर पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान तर्ज पर विचार करने की कृपा की जाए।

"प्लेसमेन्ट व्यवस्था से नुकसान"

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हम 6,437 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन एवं अन्य संबंधित मदों पर लगभग 100 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होने की जानकारी है। यदि हम सभी श्रमिकों को वर्तमान व्यवस्था से हटाकर ठेका/प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियोजित किया जाता है, तो अनुमान के अनुसार शासन पर वार्षिक वित्तीय भार बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो सकता है। अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार उत्पन्न होने की आशंका है।

जब वर्तमान में लोक निर्माण विभाग स्वयं हम 6,437 श्रमिकों के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाएं संचालित करने में सक्षम है जैसे श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वेतन भुगतान, मासिक वेतन का भुगतान सीधे हम श्रमिकों के बैंक खातों में, EPF अंशदान एवं संबंधित प्रक्रियाएं, ESIC अंशदान एवं संबंधित प्रक्रियाएं, ग्रेच्युटी से संबंधित वैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सकता है, तो बीच में ठेकेदार अथवा प्लेसमेंट एजेंसी को शामिल करने की आवश्यकता क्यों है ? यदि प्लेसमेंट एजेंसी को 15 प्रतिशत (मासिक लाभांश) सेवा शुल्क तथा 18 प्रतिशत GST का भुगतान करना पड़े, तो इसका औचित्य, वित्तीय आवश्यकता एवं शासन को होने वाले वास्तविक हानि का स्पष्ट परीक्षण किया जाना चाहिए।

लोक निर्माण विभाग स्वयं हम श्रमिकों का नियोजन जारी रखकर न केवल हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रख सकता है, बल्कि ठेका/प्लेसमेंट एजेंसियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त सेवा शुल्क एवं उससे संबंधित कर व्यय की भी बचत कर सकता है।

लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव जी चूंकि नगरी निकाय मंत्री भी है, नगरी निकाय विभाग में प्रचलित सम्पूर्ण ठेका प्रथा का (सम्भवतः प्रभावित होकर) अनुकरण करने के बजाय, (सेवा प्रदाता लागू न कर) लोक निर्माण विभाग स्वंय एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जिससे शासन के करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष बचाए जा सकें।

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा
प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660
@labour_morcha
cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण
प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899
यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232
प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
अजय त्रिपाठी
पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग
प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर
+91 9993518554
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण
हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन
खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग
राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग
हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग
कुलदीप नामदेव
दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग
बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन
प्रदेश उपाध्यक्ष
श्रीमती दिव्या सिंह
प्रदेश प्रवक्ता
सत्यम शुक्ला
प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी
एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

अनुमानित वित्तीय तुलना,

विवरण वार्षिक व्यय,

वर्तमान प्रत्यक्ष नियोजन रू. 100 करोड़,

प्रस्तावित प्लेसमेंट व्यवस्था रू. 150 करोड़,

अनुमानित अतिरिक्त भार रू. 50 करोड़

"स्थायीकरण से ही स्थायी समाधान"

महोदय, जितनी सरलता से हम अपनी बात इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं, उतनी ही सरलता से इसका समाधान भी निकाला जा सकता है। फिर भी वर्षों से विभाग की सेवा कर रहे हम श्रमिकों को हटाकर ठेका/प्लेसमेंट व्यवस्था लागू करने में इतनी रुचि क्यों दिखाई जा रही है ? न्यूनतम श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले हम श्रमिक भी इसी छत्तीसगढ़ की मिट्टी की संतान हैं। हमने भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष शासन और लोक निर्माण विभाग की सेवा में समर्पित किए हैं। हमारे परिवारों की आजीविका भी इसी रोजगार पर निर्भर है। बहुत से श्रमिक सीधी भर्ती हेतु अपना दावा पात्रता समाप्त कर चुके है।

महोदय, इस पत्र के माध्यम से हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव रखना चाहते हैं। वह है, हम जैसे न्यूनतम 2 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं दैनिक–मासिक श्रमिकों के स्थायीकरण की नीति लागू करना।

महोदय, हम यह उल्लेख करना चाहते है कि हमारी छंटनी का निर्णय न तो विभागीय सचिव का प्रतीत होता है, न प्रमुख अभियंता का और न ही छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी का। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश के 57 से अधिक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों एवं अन्य संस्थाओं में हम जैसे लगभग 36 हजार दैनिक–मासिक श्रमिक कार्यरत हैं। वहां ऐसी व्यापक छंटनी अथवा प्लेसमेंट व्यवस्था लागू किए जाने की जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं है। फिर लोक निर्माण विभाग के 6,437 श्रमिकों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? आखिर हमारा दोष क्या है ?

महोदय, हम आपके समक्ष पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब के स्थायीकरण सबंन्ध में उदाहरण भी रखना चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

1. **मध्य प्रदेश की स्थायीकरण योजना**

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में अलग–अलग अवसरों पर दो बार स्थायीकरण संबंधी योजनाएं लागू की गईं, इस योजनाओं के माध्यम से लगभग 48 हजार दैनिक श्रमिकों एवं संविदा कर्मियों को लाभान्वित किया गया। प्रथम योजना में 10 वर्ष तथा बाद की योजना में 5 वर्ष की सेवा अवधि वाले पात्र कर्मचारियों को स्थायीकर्मी बनाया गया।

2. **राजस्थान की स्थायीकरण योजना**

राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में वर्ष 2023 में लगभग 50 हजार दैनिक श्रमिकों एवं संविदा कर्मियों को स्थायीकरण योजना के माध्यम से लाभान्वित करने की पहल की गई। इसके पश्चात वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की भाजपा सरकार ने भी इस योजना को जारी रखते हुए पात्रता के लिए निर्धारित सेवा अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया है।

3. **पंजाब की स्थायीकरण योजना**

पंजाब में मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी न्यूनतम 3 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी एवं संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से स्थायीकरण की पहल की है। लगभग 65 हजार श्रमिकों एवं संविदा कर्मियों को 3 वर्ष एवं 5 वर्ष की सेवा अवधि के आधार पर इस पहल से लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया।

महोदय, जब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार, राजस्थान में पूर्व कांग्रेस एवं वर्तमान भाजपा सरकार तथा पंजाब में वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार अपने–अपने राज्यों में हम जैसे श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्थायीकरण की योजनाएं लागू कर सकती हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? हमारी आपसे विनम्र अपील है कि दूसरे राज्यों की इन योजनाओं का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी एक समयबद्ध स्थायीकरण नीति बनाई जाए। तत्काल अलग अलग अधिकारियों की टीम तीनो राज्यों में जाकर वहां लागू स्थायीकरण से सबंधित सम्पूर्ण जानकारी एक निश्चित समय सीमा में जुटाकर वर्तमान सरकार को ठोस योजना बनाकर कैबिनेट में प्रेषित करे, इसमें सेवा अवधि, कार्य की प्रकृति, विभागीय आवश्यकता एवं पात्रता के आधार पर हम सभी श्रमिकों को न्यायसंगत अवसर स्थायीकरण व्यवस्था हमारे प्रदेश में लागू कर हम 36 हजार 57 विभाग के श्रमिकों को इसका लाभ प्रदान किया जाए। हम सभी ठेकेदार के माध्यम से रोजगार नहीं, बल्कि शासन के अधीन वर्षों से की जा रही अपनी सेवाओं के अनुरूप सम्मानजनक एवं सुरक्षित भविष्य चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

"विभागीय मंत्री अरूण साव जी से सवेदनशीलता की उम्मीद"

महोदय, क्या छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री अरुण साव जी तीनों राज्यों की स्थायीकरण योजनाओं का परीक्षण कराने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं सरकारों से उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं की आधिकारिक प्रतियां मंगवाकर उनका अध्ययन नहीं कर सकते ? क्या इन योजनाओं पर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती ?

महोदय, श्री अरुण साव जी स्वयं एक विद्वान अधिवक्ता हैं। वे श्रमिकों के स्थायीकरण से जुड़े श्रम कानूनों तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 की धारा 61 एवं 63 के प्रावधानों को भली–भांती समझते हैं। ऐसे में उनके मार्गदर्शन में इस विषय का कानूनी परीक्षण कराकर एक व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता है।

महोदय, हमारा मानना है कि स्थायीकरण की ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे प्रदेश सरकार पर वर्तमान व्यय के अतिरिक्त कोई नया वित्तीय भार न पड़े। वर्तमान में सरकार हम श्रमिकों पर जितना व्यय कर रही है, उसी वित्तीय व्यवस्था के भीतर काल्पनिक वेतन निर्धारण (Notional Pay Fixation) के माध्यम से स्थायीकरण का रास्ता निकाला जा सकता है।

यदि सरकार न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की पात्रता निर्धारित कर स्थायीकरण की योजना लागू कर देती है, तो इसके बाद भविष्य में होने वाली बैकडोर एंट्री को हमेशा के लिए बंद करने का रास्ता भी साफ हो सकता है।

महोदय, एक बार प्रदेश के समस्त 36 हजार दैनिक–मासिक श्रमिकों (PWD के 6,437 श्रमिकों सहित) का नियमानुसार स्थायीकरण कर दिया जाए और इसके पश्चात सभी 57 विभागों में मस्टर रोल एवं हैंड रिसिप्ट जैसी व्यवस्थाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, तो सरकार भी इस पुरानी व्यवस्था से मुक्त हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों के श्रमिकों को हमारी तरह अनिश्चितता, असुरक्षा और संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हमारी सरकार से बस इतनी ही अपेक्षा है कि पहले वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को उनका उचित भविष्य और सम्मानजनक सेवा–सुरक्षा प्रदान कर दिया जाए। इसके बाद सरकार प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में किसी भी व्यवस्था को अपनाने के लिए स्वतंत्र रहे। चाहे वह सीधी भर्ती हो, प्लेसमेंट, ठेका पद्धति हो अथवा आधुनिक तकनीक, AI और मशीनों के माध्यम से कार्य कराने की व्यवस्था हो।

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
अजय त्रिपाठी
पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण
हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन
खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग
राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग
हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग
कुलदीप नामदेव
दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग
बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष
श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता
सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी
एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

हम सभी श्रमिक इस बात पर सहमत होंगे, हमारा उद्देश्य भविष्य की सरकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि वर्षों से सेवा दे रहे श्रमिकों को उनका उचित अधिकार और सुरक्षित भविष्य दिलाना है।

महोदय, यह केवल 36 हजार श्रमिकों के भविष्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भविष्य की पीढ़ियों को इस अस्थायी और अनिश्चित रोजगार व्यवस्था से बचाने का एक स्थायी समाधान है।

"वित्तीय भार व्यय काल्पनिक वेतन की सम्पुर्ण जानकारी"

महोदय, अब हम आपके समक्ष स्थायीकरण के इस प्रस्ताव का एक व्यावहारिक वित्तीय उदाहरण भी रखना चाहते हैं, जिससे यह समझा जा सके कि वर्तमान विभागीय व्यय के भीतर ही काल्पनिक वेतनमान निर्धारित कर स्थायीकरण की व्यवस्था किस प्रकार बनाई जा सकती है।

1. उच्च कुशल श्रमिकों का प्रस्तावित काल्पनिक वेतनमान

रायपुर में वर्तमान श्रम दर के आधार पर उच्च कुशल श्रमिकों का लगभग रू. 13,744 मासिक वेतन आधार मानते हुए इसमें निम्न राशि सम्मिलित की जा सकती है।

वर्तमान श्रम दर वेतन रू. 13,744.00

अ) श्रम सम्मान राशि रू. 4,000.00

ब) EPF हेतु विभागीय अंशदान (13%) रू. 1,786.72

स) ESIC हेतु प्रस्तावित विभागीय अंशदान (3.25%) रू. 446.68

कुल प्रस्तावित काल्पनिक वेतनमान रू. 19,977.40 (अ, ब, स का न्यूनतम वेतन में योग)

इस पर 60% महंगाई भत्ता जोड़ने पर रू. 31,963.84 होता है। इसमें से UPS 10% अंशदान की प्रस्तावित कटौती रू. 3,196.38 घटाने पर श्रमिक का मासिक वेतन लगभग रू. 28,767.46 होगा। (उच्च कुशल)

2. अर्धकुशल श्रमिकों का प्रस्तावित काल्पनिक वेतनमान

रायपुर में वर्तमान श्रम दर के आधार पर अर्धकुशल श्रमिकों का लगभग रू. 12,184.00 मासिक वेतन आधार मानते हुए–

वर्तमान श्रम दर वेतन रू. 12,184.00

अ) श्रम सम्मान राशि रू. 4,000.00

ब) EPF हेतु विभागीय अंशदान (13%) रू. 1,583.92

स) ESIC हेतु प्रस्तावित विभागीय अंशदान (3.25%) रू. 395.90

कुल प्रस्तावित काल्पनिक वेतनमान रू. 18,163.90 (अ, ब, स का न्यूनतम वेतन में योग)

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

इस पर 60% महंगाई भत्ता जोड़ने पर रू. 29,062.24 होता है। इसमें से **UPS** 10% अंशदान की प्रस्तावित कटौती रू. 2,906.22 घटाने पर श्रमिक का मासिक वेतन लगभग रू. 26,156.02 होगा। (अर्द्ध कुशल)

इसके अतिरिक्त नियमित कर्मचारियों की तरह वार्षिक वेतनवृद्धि का प्रावधान भी रखा जा सकता है। हमारे प्रस्तावित उदाहरण में उच्च कुशल श्रमिक के लिए रू. 599 तथा अर्धकुशल श्रमिक के लिए रू. 545 वार्षिक वृद्धि का उल्लेख किया गया है।

महोदय, इस प्रस्ताव में UPS अर्थात एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभों और अंशदान की व्यवस्था का भी परीक्षण किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा लागू पेंशन नियमों के अनुसार कर्मचारी एवं सरकार के अंशदान तथा सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण किया जा सकता है।

इस प्रकार चारो श्रेणी के श्रमिकों के लिए वर्तमान विभागीय व्यय, श्रम सम्मान राशि तथा सामाजिक सुरक्षा मदों को आधार बनाकर एक व्यवस्थित काल्पनिक वेतन संरचना तैयार करना 100% संभव है।

महोदय 4 नए श्रम कानून के बाद दिल्ली में उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रेणी का न्यूनतम श्रम दर वेतन तय होगा, उतने वेतन के मासिक भार में हमारा स्थायीकरण का काल्पनिक वेतन ग्रेड पे छ.ग. में बन जाएगा।

"आप से विशेष आशा उम्मीद"

महोदय, हमारा निवेदन है कि जब वर्तमान व्यय को आधार बनाकर वित्तीय एवं कानूनी परीक्षण के माध्यम से ऐसी व्यवस्था तैयार की जा सकती है, तो फिर प्रदेश के लगभग 36 हजार श्रमिकों (PWD के 6,437 श्रमिकों सहित) के स्थायीकरण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में कठिनाई क्यों होनी चाहिए ?

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक
श्रीमती गीता यादव
अजय त्रिपाठी
पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष
आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण
हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन
खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग
राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग
हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग
कुलदीप नामदेव
दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग
बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष
श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता
सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी
एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

हमारा उद्देश्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालना नहीं, बल्कि वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को सम्मानजनक सेवा–सुरक्षा प्रदान करना है। हमें विश्वास है कि इच्छाशक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण से सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकती है।

महोदय, इस प्रकार बिना किसी अतिरिक्त बड़े वित्तीय भार के, वर्तमान विभागीय व्यय को आधार बनाकर प्रदेश के लगभग 36 हजार श्रमिकों के लिए स्थायीकरण की योजना लागू करना उतना कठिन नहीं है, जितना सामान्यतः समझा जाता है। इस पत्र में सुझाया गया समाधान एक व्यावहारिक रास्ता प्रस्तुत करता है। आवश्यकता केवल सकारात्मक सोच, इच्छाशक्ति और संवेदनशील पहल की है।

महोदय, आप भी भारत माता के संतान हैं। प्रदेश के 36 हजार श्रमिकों को आपसे बहुत आशा और उम्मीदें हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी वर्षों पुरानी पीड़ा, संघर्ष और भविष्य की असुरक्षा को समझेंगे।

हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि हमारी इस मांग और सुझाए गए समाधान को गंभीरता से समझते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अवश्य रखें। मुख्यमंत्री जी के पास सामान्य प्रशासन विभाग का दायित्व भी है, इसलिए आपके माध्यम से इस विषय पर सभी संबंधित विभागों के बीच सकारात्मक चर्चा और कानूनी एवं वित्तीय परीक्षण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

महोदय, हमारी हार्दिक इच्छा है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से माताओं–बहनों के लिए एक योजना लागू की है, उसी प्रकार वर्षों से प्रदेश की सेवा कर रहे 36 हजार श्रमिकों के सुरक्षित भविष्य के लिए 1 नवंबर 2027 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर **"माता कौशल्या स्थायीकरण योजना"** लागू करने की ऐतिहासिक पहल हो।

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्तदर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: पंचमुखी चौक, करनौद, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495660

@labour_morcha cgcrcrlmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा
(उच्च न्यायालय)
+91 7974822899

यामिनी मैथिल
(जिला न्यायालय)
+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय
जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर
+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे
आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा
गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे
कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

प्रदेशसचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी
+91 9406252710

यह योजना केवल 36 हजार श्रमिक परिवारों को सेवा–सुरक्षा देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ में आने वाली पीढ़ियों को भी अस्थायी रोजगार की अनिश्चितता से बचाने का एक स्थायी रास्ता बनेगी।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस आवाज को उचित मंच तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सादर चरण स्पर्श सहित आपका हृदय से आभार।

भारत माता की जय...

जय छत्तीसगढ़ महतारी...

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

श्रीमती गीता यादव | अजय त्रिपाठी | पंकज पाण्डेय | आकाशदीप राठौर

हारून मानिकपुरी | खेमचंद साहू | रोहित कापरे | राजेश कुमार सिन्हा

हीरालाल ध्रुव | दिपेश भतपहरी | कुलदीप नामदेव | दिलेश्वर साहू

बादल कुमार बंजारे | श्रीमती दिव्या सिंह | सत्यम शुक्ला | एच.एस. तिवारी